भारतीय कपास निगम लिमिटेड
मुख्यालय, नवी मुंबई

सं. भाकनि/मुख्या/अं.भ.नि./2022-23/89 30 जनवरी, 2023

परिपत्र

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4 नवंबर, 2022 को एसएलपी संख्या 8658-8659 वर्ष 2019 के तहत दिए गए निर्णय के अनुक्रम में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 11(3) और पैरा 11(4) (इसके बाद इसे ईपीएस' 1995 कहा जाएगा) के लिए संयुक्त विकल्प फॉर्म जमा करने के संबंध मे ।

पूर्व मे जारी किए गए परिपत्र दिनांक 16 जनवरी 2023 के क्रम मे यह सूचित किया जाता है कि हर तरह से विधिवत भरे गए संयुक्त विकल्प फॉर्म को दाखिल करने की तिथि को 31 जनवरी 2023 तक बढ़ाया जाता है।

अतः विकल्प प्रपत्र तीन प्रतियों में विधिवत हस्ताक्षरित मूल (हार्ड कॉपी के रूप में) लिफाफे पर "संयुक्त विकल्प ईपीएस 95" लिखकर श्री कमल कांत, उप महाप्रबंधक (वित्त), भारतीय कपास निगम लिमिटेड, कपास भवन, प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर-10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614 को दिनांक 31 जनवरी 2023 तक प्रस्तुत किया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आर. के. गुप्ता)
मु.म.प्र.(वित्त/प्रसाशन)

प्रतिः-

1. सभी कर्मचारी – कार्यरत/सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र/वीआरएस

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
HEAD OFFICE, NAVI MUMBAI

No. CCI/HO/CPF/2022-23/89

30th January 2023

CIRCULAR

Subject: Submission of Joint Option form under Para 11(3) and Para 11(4) of Employees' Pension Scheme, 1995 (hereinafter called EPS' 1995) in line with the direction given by Hon'ble Supreme Court vide order dated 4th November 2022 passed in SLP no. 8658-8659 of 2019.

In continuance of earlier circular dated 16 January 2023 on the above subject, it is informed that date of filing of the joint option form duly filled in every manner is extended up to 31st January 2023.

Accordingly, the option form in triplicate duly signed in original (hard copies) shall be submitted in envelope earmarked as "Joint Option EPS 95" to Shri Kamal Kant, Dy.G.M. (Fin.), the Cotton Corporation of India Limited, Kapas Bhawan, Plot no. 3A, Sector 10, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614 by 31st January 2023.

This issues with the approval of Competent Authority.

(R. K. Gupta)
CGM (Fin. /Admin.)

To:-

1. All employees –Working/Retired/Resigned/VRS